भारत में निजता का अधिकारः भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच संबंध

शोधार्थी:

जडेजा हरेंद्र सिंह

राजनीति विज्ञान संकाय, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

शोध-निर्देशक:

डॉ. संजय कुमार

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान संकाय, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

सार

निजता का अधिकार मानवाधिकारों का अभिन्न हिस्सा है और इसका व्यापक महत्व है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में इस अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत विकसित किया है। यह शोध भारतीय संविधान में निजता के अधिकार के विकास, न्यायिक व्याख्या, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों से जोड़ने के प्रयासों पर आधारित है। इसके अंतर्गत विभिन्न न्यायिक मामलों जैसे खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आदि के माध्यम से निजता के अधिकार की व्याख्या की जाएगी। साथ ही, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संविधान में निजता के अधिकार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विश्लेषण किया जाएगा। यह शोध यह दर्शाता है कि निजता का अधिकार संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में महत्वपूर्ण है और इसे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विकसित किया गया है।

मुख्य शब्दः निजता का अधिकार, भारतीय संविधान, अनुच्छेद 21, मानवाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मानक, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश।

परिचय

निजता का अधिकार मानवाधिकारों की एक अहम अवधारणा है, जो लोकतांत्रिक समाजों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में निजता का अधिकार सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं है, लेकिन यह भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। 1963 के खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मान्यता दी, जिसके बाद इसे अन्य मामलों में भी स्वीकार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणाओं, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, ने निजता के अधिकार को महत्वपूर्ण माना है। यह शोध भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच के संबंधों की व्याख्या करता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि कैसे भारतीय न्यायपालिका ने निजता के अधिकार को मान्यता दी और इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया।

आधुनिक विश्व में मानवाधिकार के रूप में निजता के अधिकार की प्रासंगिकताः

न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गोपनीयता की शाब्दिक परिभाषा यह है कि...

'प्रचार या प्रदर्शन से अनुपस्थिति या बचाव, दूसरों के समाज से या सार्वजनिक हित से अलग रहने की स्थिति,

एकांत'। ब्लैक लॉ डिक्शनरी निजता को इस प्रकार परिभाषित करती है: ''अकेले रहने का अधिकार, किसी व्यक्ति का अनुचित प्रचार से मुक्त रहने का अधिकार, और उन मामलों में जनता के अनुचित हस्तक्षेप के बिना जीने का अधिकार जिनमें जनता का अनिवार्य रूप से कोई संबंध नहीं है।'' ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी निजता को इस प्रकार परिभाषित करती है: ''अकेले रहने की स्थिति, जहाँ अन्य लोगों द्वारा देखा या परेशान न किया जाए, जनता के ध्यान से मुक्त रहने की स्थिति।''

लोकतांत्रिक समाज में निजता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भारतीय संविधान में निजता की गारंटी देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि, 1963 में खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) निजता को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने कहा कि 'किसी व्यक्ति की शारीरिक सुख–सुविधा और स्वास्थ्य के लिए उसकी निजता में जानबूझकर हस्तक्षेप से अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं है।'

निजता का अधिकार और राज्य की तलाशी और जब्ती की शक्ति लगभग हर लोकतांत्रिक देश में बहस का विषय रही है जहाँ मौलिक स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित हैं। इतिहास से मायने के मामले से शुरू होता है, जहाँ यह निर्धारित किया गया था कि 'प्रत्येक व्यक्ति को निजता का अधिकार है'।

'मनुष्य का घर ही उसका किला है'। इस कहावत की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति विलियम पिट ने 1763 में ब्रिटिश संसद में की थी। उन्होंने कहा था, ''गरीब से गरीब आदमी भी अपनी झोपड़ी में राजशाही की सारी ताकत को चुनौती दे सकता है। चाहे वह कमजोर हो, उसकी जड़ें कांपें, हवा उसमें से बह निकले, तूफान अंदर आ जाए, बारिश अंदर आ जाए, लेकिन इंग्लैंड का राजा अंदर नहीं आ सकता – उसकी सारी ताकत भी उस झोपड़ी को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती।''

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) का अनुच्छेद 12 निजता से संबंधित है और इसमें कहा गया है: किसी की निजता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके मान–सम्मान पर हमला किया जाएगा। ऐसे हस्तक्षेप या हमलों के विरुद्ध कानून की सुरक्षा का अधिकार सभी को है।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का अनुच्छेद 17 (जिसका भारत एक पक्षकार है) निजता से संबंधित है और कहता है कि,

1. किसी भी व्यक्ति की निजता, परिवार, घर और पत्राचार में मनमानी या गैरकानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमले किए जाएंगे।
2. हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून की सुरक्षा का अधिकार है।

मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन, जो 03.09.1953 को लागू हुआ, अनुच्छेद 8 में भी यही कहता है, ''प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, अपने घर और अपने पत्राचार के सम्मान का अधिकार है।''

किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे हस्तक्षेप के जो कानून के अनुसार हो और एक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा या देश की आर्थिक भलाई के हित में, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हो।

कनाडा के अधिकारों और स्वतंत्रता के चार्टर में घोषित किया गया है: ''प्रत्येक व्यक्ति को अनुचित तलाशी और जब्ती से सुरक्षित रहने का अधिकार है।''

न्यूजीलैंड के मानवाधिकार विधेयक की धारा 21 में कहा गया है कि ''प्रत्येक व्यक्ति को अनुचित तलाशी या जब्ती से सुरक्षित रहने का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति, संपत्ति, पत्राचार या किसी अन्य प्रकार की हो।''

अमेरिकी न्यायालय ''निजता के अधिकार'' को अंग्रेजी कॉमन लॉ से जोड़ते हैं, जिसमें इसे ''संपत्ति के अधिकार''

से जुड़ा अधिकार माना जाता था। एंटिक बनाम कैरिंगटन (1965) में यह घोषित किया गया था कि निजता का अधिकार संपत्ति के विरुद्ध अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, लॉर्ड कैमडेन ने टिप्पणी की:

''जिस महान उद्देश्य से मनुष्य समाज में आए, वह था अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना। यह अधिकार पवित्र और अविभाज्य माना जाता है, सिवाय उन मामलों में जहां इसे किसी सार्वजनिक कानून द्वारा समाज के हित में छीना या सीमित नहीं किया गया हो। इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार, निजी संपत्ति पर हर अतिक्रमण, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अतिक्रमण है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति मेरी जमीन पर कदम नहीं रख सकता, अन्यथा वह कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही नुकसान न हुआ हो।''

चार दशकों के बाद, ओहन्स्टेड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका3 मामले में, जो कि वायर–टैपिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का मामला था और जिसमें कोई वास्तविक शारीरिक अतिक्रमण नहीं था, बहुमत ने माना कि यह कार्रवाई चौथे संशोधन के प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। लेकिन अपने असहमति वाले मत में, न्यायमूर्ति ब्रैंडिस ने कहा कि यह संशोधन निजता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसका अर्थ है ''अकेले रहने का अधिकार'' और इसका उद्देश्य ''खुशी की खोज के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना'' था, जो ''मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति, उसकी भावनाओं और उसकी बुद्धि के महत्व'' को पहचानते हुए, ''अमेरिकियों को उनके विश्वास, उनके विचारों, उनकी भावनाओं और उनकी संवेदनाओं में सुरक्षा प्रदान करना'' चाहता था। यह असहमति वाला मत अगले चार दशकों के बाद कानून के रूप में स्वीकार किया गया।

वार्डन बनाम हेडेन में संपत्ति से व्यक्ति की ओर बदलाव को स्पष्ट रूप से इस प्रकार घोषित किया गया था, ''यह धारणा कि संपत्ति हित सरकार के तलाशी और जब्ती के अधिकार को नियंत्रित करते हैं, अमान्य हो चुकी है।

चौथा संशोधन निजता की सुरक्षा से संबंधित है, न कि संपत्ति की सुरक्षा से, और इसने संपत्ति की अवधारणाओं पर आधारित काल्पनिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं को तेजी से त्याग दिया है।

थॉर्नबर्ग मामले में न्यायमूर्ति स्टीवंस ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ ओ एंड जी में कहा कि ''निजता की अवधारणा इस नैतिक तथ्य को समाहित करती है कि व्यक्ति स्वयं का है, न कि दूसरों का और न ही समग्र रूप से समाज का।'' व्हल्डन यू रो मामले में उसी विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि ''निजी मामलों के खुलासे से बचने में व्यक्तिगत हित और इसी तरह का एक सामान्य, लेकिन फिर भी स्पष्ट – कुछ प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्वतंत्रता का हित होता है।''

भारत में निजता कानून का विकासः

भारत में निजता से संबंधित सबसे पहला मामला एमपी शारनिया बनाम सतीश चंद्र था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि तलाशी और जब्ती संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) और अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने माना कि मात्र तलाशी से संपत्ति के किसी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यद्यपि जब्ती से इस पर प्रभाव पड़ता है, तो यह प्रभाव केवल पारदर्शिता तक सीमित है और अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है।

खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जहां घर पर जाकर मुलाकात करने संबंधी उत्तर प्रदेश विनियम पर सवाल उठाया गया था, यह माना गया कि यद्यपि भारतीय संविधान में निजता के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, फिर भी इसे अनुच्छेद 21 में निहित 'जीवन' के अधिकार से समझा जा सकता है। बहुमत के अनुसार, उत्तर प्रदेश विनियमों का खंड 236 विधिवत रूप से गलत थाय यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता था क्योंकि ऐसे मुलाकातों द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देने वाला कोई कानून नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निगरानी की अनुमति देने वाला विनियम निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। संक्षेप में, सभी सात विद्वान न्यायाधीशों ने यह माना कि 'निजता का अधिकार' अनुच्छेद 21 में

निहित 'जीवन' के अधिकार का हिस्सा है।

गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू ने कहा कि ''निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है'' और ''निजता के किसी भी अधिकार में घर, परिवार, विवाह, मातृत्व, प्रजनन और बाल पालन की निजी अंतरंगता शामिल होनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता संविधान में इसलिए निर्धारित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व और उससे जुड़ी चीजें आधिकारिक हस्तक्षेप से मुक्त रहें, सिवाय इसके कि जहां हस्तक्षेप का कोई उचित आधार मौजूद हो। नागरिक के कई मौलिक अधिकारों को निजता के अधिकार में योगदान देने वाले के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

घर की निजता की रक्षा के लिए दो संभावित सिद्धांत हैं। पहला यह है कि घर में की जाने वाली गतिविधियाँ दूसरों को केवल इस हद तक नुकसान पहुँचाती हैं कि उनसे इस मात्र विचार मात्र से आपत्ति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।

'नुकसान' संवैधानिक रूप से राज्य द्वारा संरक्षित नहीं है। दूसरा यह है कि व्यक्तियों को एक ऐसे सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ वे सामाजिक नियंत्रण से मुक्त हो सकें। ऐसे सुरक्षित स्थान का महत्व यह है कि व्यक्ति अपना मुखौटा उतार सकते हैं, कुछ समय के लिए दुनिया के सामने उस छवि को प्रस्तुत करने से बच सकते हैं जिसे वे स्वीकार करवाना चाहते हैं, एक ऐसी छवि जो उनके स्वभाव की वास्तविकताओं के बजाय उनके साथियों के मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सकती है।

एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान और वैधानिक कानून में स्पष्ट रूप से निहित सीमाओं के अलावा किसी अन्य सीमा से सीमित है। न्यायमूर्ति खन्ना ने टिप्पणी की, ''अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र स्रोत नहीं है... किसी को भी कानून के अधिकार के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यह न केवल सामान्य कानून से, बल्कि भारत में लागू व्यक्तिगत कानून जैसे वैधानिक कानून से भी समान रूप से प्राप्त होता है।''

आर. राजगोपाल एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य मामले में, ऑटो शंकर नामक एक व्यक्ति को छह हत्याओं के लिए मृत्युदंड दिया गया था। उसने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी और जेल अधिकारियों की जानकारी और सहमति से उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया ताकि वह उसके वकील को याचिकाकर्ताओं की पत्रिका में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ दे सके। आत्मकथा में कैदी और कई आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध दर्शाया गया था, जिनमें से कुछ उसके कई अपराधों में सहयोगी थे। याचिकाकर्ता ने आत्मकथा का धारावाहिक प्रकाशन शुरू करने का निर्णय लिया और अपनी पत्रिका में इसकी घोषणा की। इसके बाद, जेल महानिरीक्षक ने प्रथम याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि यह धारावाहिक ऑटो शंकर द्वारा नहीं लिखा गया है और उसे तत्काल प्रकाशन बंद करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने इस पत्र को चुनौती देने और प्रेस की स्वतंत्रता तथा पुस्तक प्रकाशित करने के अपने अधिकार का दावा करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। ऑटो शंकर और उसकी पत्नी को रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी ने इस बात पर विचार किया कि क्या राज्य या उसके अधिकारियों को राज्य या उसके अधिकारियों की मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार है और उन्होंने माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ''ऑटो शंकर'' की आत्मकथा के प्रकाशन पर प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई पूर्व प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया जा सकता है। यह न तो राज्य और न ही उसके अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा इस देश के नागरिकों को प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है।

यह ''अकेले रहने का अधिकार'' है। एक नागरिक को अपनी, अपने परिवार की, मातृत्व, संतानोत्पत्ति और शिक्षा से संबंधित निजता की रक्षा का अधिकार है। उसकी सहमति के बिना उपरोक्त मामलों से संबंधित कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

श्री एक्स बनाम श्री जेड और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.एस. अग्रवाल ने कहा कि ''निजता का अधिकार, हालांकि एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार का हिस्सा है, इसे पूर्ण अधिकार नहीं माना जा सकता। निजता का अधिकार अनुबंध से और वैवाहिक सहित किसी विशिष्ट संबंध से भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जब निजता का अधिकार किसी सार्वजनिक दस्तावेज का हिस्सा बन जाता है, तो उस स्थिति में संबंधित व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि ऐसा कोई भी परीक्षण उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।''

वहीं, एक अन्य मामले शारदा बनाम धर्निपाल में, सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक की कार्यवाही में शामिल एक पक्ष को चिकित्सा परीक्षण कराने का निर्देश भी दिया था। यह ऐसा मामला था जहां निजता के अधिकार का हवाला दिया गया था, क्योंकि न्यायालय ने पति या पत्नी के चिकित्सा परीक्षण का आदेश दिया था। वैवाहिक विवादों के मामलों में, जहां नपुंसकता, सिजोफ्रेनिया या किसी अन्य बीमारी के आधार पर तलाक मांगा जाता है, वहां पक्ष को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजना आवश्यक हो सकता है और सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों की ऐसी शक्तियों को इस आधार पर बरकरार रखा कि सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसा कदम उठाना आवश्यक होगा। लेकिन, साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही किसी पक्ष के खिलाफ ऐसा आदेश पारित किया गया हो, उसे चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष इस प्रकार थे:

(1) वैवाहिक न्यायालय को चिकित्सा परीक्षण कराने का निर्देश देने का अधिकार है, (2) न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करना अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं था, (3) प्रतिवादी चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर सकता है और ऐसे मामले में, न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का हकदार होगा।''

सुरजीत सिंह थिंद बनाम कंवलजीत कौर (14) के मामले में, पति ने पत्नी की कौमार्यता साबित करने के लिए उसकी चिकित्सकीय जांच कराने हेतु न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति जे.एम. कुमार ने कहा कि ''किसी महिला की कौमार्यता की जांच की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उसके निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसा आदेश एक ऐसी महिला के विरुद्ध एक प्रकार की अनुचित जांच होगी जो वैसे भी असुरक्षित है।''

रायला एम भुवनेश्वरी बनाम नागफनेंद्र रायला मेंधारा में, एक मामले में पति अपनी पत्नी की भारत में स्थित मित्रों और माता–पिता से टेलीफोन पर हो रही बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बिलाल नाजकी ने फैसला सुनाया कि ''पति द्वारा पत्नी की टेलीफोन पर हो रही बातचीत को रिकॉर्ड करना अवैध था और यह पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन था''।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पष्ट शब्दों में कहा कि ''निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित 'जीवन' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के अधिकार का एक हिस्सा है। एक बार जब किसी मामले के तथ्य निजता के अधिकार का गठन करते हैं, तो अनुच्छेद 21 लागू होता है। उक्त अधिकार को ''कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार'' ही सीमित किया जा सकता है। संविधान में निजता के अधिकार को स्वयं में परिभाषित नहीं किया गया है। एक अवधारणा के रूप में, इसे न्यायिक रूप से परिभाषित करना व्यापक और नैतिक हो सकता है। किसी मामले में निजता के अधिकार का दावा किया जा सकता है या उसका उल्लंघन हुआ है, यह उस

मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

लेकिन टेलीफोन रखने का अधिकार घर या दफ्तर की चारदीवारी में बिना किसी हस्तक्षेप के की गई बातचीत को निजता के अधिकार के रूप में माना जा सकता है। टेलीफोन पर होने वाली बातचीत अक्सर अंतरंग और गोपनीय होती है। टेलीफोन पर बातचीत आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है। इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि आजकल अधिकाधिक लोग अपने मोबाइल फोन जेब में रखते हैं। टेलीफोन पर बातचीत व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निजता के अधिकार में घर या दफ्तर की चारदीवारी में की गई टेलीफोन पर बातचीत भी शामिल है। इसलिए, टेलीफोन टैपिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जब तक कि इसे कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति न दी गई हो। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है। इस स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों और मतों को मौखिक रूप से, लिखकर, चित्र बनाकर, या किसी अन्य माध्यम से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार। जब कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा होता है, तो वह अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंधों के दायरे में न आने पर टेलीफोन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघन होगा। अधिनियम की धारा 5(2) के तहत टेलीफोन टैपिंग का आदेश भारत सरकार (केंद्रीय सरकार) के गृह सचिव और राज्य सरकारों के गृह सचिवों के अलावा किसी और द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अत्यावश्यक मामले में यह शक्ति भारत सरकार और राज्य सरकारों के गृह विभाग के संयुक्त सचिव से कम रैंक के अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती है। अतः पति को अपनी पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत रिकॉर्ड करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का व्यापक अर्थ है और इसमें अनेक अधिकार शामिल हैं जो मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निर्माण करते हैं, और उनमें से कुछ अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

अनुच्छेद 19 के तहत अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करते हुए विशिष्ट मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी कानून को तीन गुना परीक्षण को पूरा करना होगा,

(1) इसमें एक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए, (2) यह प्रक्रिया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त एक या अधिक मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए, जो किसी विशेष परिस्थिति में लागू हो सकते हैं, और (3) इसकी जांच अनुच्छेद 14 के संदर्भ में भी की जानी चाहिए। चूंकि अनुच्छेद 14 द्वारा निर्धारित कसौटी अनुच्छेद 21 पर भी लागू होती है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार में हस्तक्षेप को अधिकृत करने वाला कानून और प्रक्रिया भी सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष होनी चाहिए, न कि मनमानी, निरर्थक या दमनकारी। यदि निर्धारित प्रक्रिया अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, तो अनुच्छेद 21 के अर्थ में वह कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी।

निष्कर्ष

निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों के माध्यम से इस अधिकार की व्याख्या की है और इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है। हालांकि संविधान में निजता के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, न्यायपालिका की सक्रियता ने इसे कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर संधि के अनुच्छेदों ने भी इस अधिकार को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी है। यह शोध दर्शाता है कि निजता का अधिकार

केवल एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय न्यायपालिका ने इसे समय–समय पर विभिन्न मामलों के माध्यम से सुनिश्चित किया है, और यह अधिकार अब भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।

संदर्भ

मोहन, (2020). भारत में संवैधानिक व्यवस्था और मानवाधिकारों के अंतर्संबंधों की पड़ताल।

नायर, (2023). भारतीय कानून के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण का गहन विश्लेषण।

राजपूत – कुमार, (2021). भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण।

रानी – मेहता, (2022). भारत में मानवाधिकार और शासन के बीच संबंधों का गहन मूल्यांकन।

सिंह, (2020). भारत में दलितों और अनुसूचित जातियों के अधिकारों से संबंधित कानूनी ढांचे का विश्लेषण।

वर्मा, (2024). मानवाधिकार और भारतीय लोकतंत्र के अंतर्संबंधों का गहन विश्लेषण।

यादव – शर्मा, (2024). मानवाधिकारों और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के बीच संबंधों का पुनरीक्षण।

जावेरी, (2023). अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में भारत की भूमिका और वैश्विक मानकों के अनुपालन पर चर्चा।

इकबाल, (2025). भारत में मानवाधिकार संरक्षण के ऐतिहासिक विकास का गहन विश्लेषण।